डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी
पीठासीन अधिकारीः–उमेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–278/2018

1–काशीराम पुत्र राजाराम जाति जाट निवारी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2–हनुमानसिंह पुत्र राजाराम जाति जाट निवारी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।

–वादीगण

बनाम

1–राजाराम पुत्र गुमानाराम जाति जाट निवारी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी।
2–कौशल्यादेवी पुत्री राजाराम पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवारी भट्टू तहसील व जिला फतेहाबाद।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अब्दुल सत्तार जोईया वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री हरबंशसिंह प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम के नाम से चक नं. 1 ए बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 161/165 में 4.3010 है. मय गैर मुमकिन आराजी व चक नं. 20 केएनएन के जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 76 के खाता संख्या 135/128 की 1. 7960 है. मय गैर मुमकिन आराजी व चक श्योदानपुरा बारानी जमाबन्दी सम्वत् 2070 ता 73 के खाता संख्या 29/31 में प्रतिवादी संख्या 1 राजाराम का 1/3 हिस्सा दर 5.207 हिस्सा व दस चक के खाता संख्या 49/50 की 2.5550 है. आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है,इस प्रकार तीनों चकों की कुल 10.3877 है. आराजी वादीगण को निम्नानुसार आराजी प्राप्त हुई हैः–

(क)–वादी काशीराम को प्राप्त आराजीः–वाके चक नं.1 ए बारानी खाता संख्या 161/165 की 4.3010 है. आराजी में से 1.518 है. आराजी,चक श्योदानपुरा बारानी के खाता संख्या 29/31 में प्रतिवादी राजाराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा दर 5.2070 है. यानि 1.7357 है. आराजी में से .4707 है. आराजी तथा इसी चक के खाता संख्या 49/50 की 2.555 है. में 1/2 हिस्सा आराजी प्राप्त हुई है।

(ख)–वादी हनुमानसिंह को प्राप्त आराजीः–वाके चक नं.1 ए बारानी खाता संख्या 161/165 की 4.3010 है. आराजी में से 2.277 है. आराजी, चक श्योदानपुरा बारानी के खाता संख्या 29/31 में प्रतिवादी राजाराम के नाम से दर्ज 1/3 हिस्सा दर 5.2070 है. यानि 1.7357 है. आराजी में से 1.265 है. आराजी तथा इसी चक के खाता संख्या 49/50 की 2.555 है. में 1/2 हिस्सा आराजी के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व चक नं.1 ए बारानी के खाता संख्या 161/165 में से प्रतिवादी राजाराम का हिस्सा कम किये जाने तथा चक श्योदानपुरा बारानी के खाता संख्या 29/31 व 49/50 में से प्रतिवादी राजाराम का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में वादीगण के नाम से अंकन कि जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

निज..........निल..........मुब्लिक.......निल..........बाबत्........निल........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक ..16-11-18...अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक..16-11-18........को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,टिब्बी

Scanned by CamScanner